

प्रपक,

संख्या-2583/14-2-2005-600(33)/2005

जे०पी० शर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
सेवा में

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक : 30 दिसम्बर, 2005

विषय-

जनपद मिर्जापुर से औषरा वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में स्थित पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग वाया कन्हौरा, सरनई, झारिया, गड़ाव, पिण्डारी, रानीडीह, अड़गुड़ सम्पर्क वन मार्ग (जो वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 से पूर्व का है) लम्बाई 40.00 कि०मी० (वन क्षेत्र 16.00 हे०) को कच्चा से पक्का (ब्लैक टॉपिंग छोड़कर) किये जाने की अनुमति लोक निर्माण विभाग को दिया जाना।

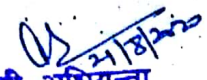
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-229/11-सी-138, दिनांक 13 सितम्बर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मिर्जापुर में औषरा वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में स्थित पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग वाया कन्हौरा, सरनई, झारिया, गड़ाव, पिण्डारी, रानीडीह, अड़गुड़ सम्पर्क मार्ग, (जो वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 लागू होने से पूर्व का है) जिसकी लम्बाई 40.00 कि०मी० एवं 16.00 हे० वन क्षेत्र निहित है, को कच्चा से पक्का (ब्लैक टॉपिंग छोड़कर) किये जाने की अनुमति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-11-48/2002 -एफ.सी., दिनांक 14 सितम्बर, 2004 एवं पत्रांक-11-48/2002-एफ.सी., दिनांक 29/30 अप्रैल, 2005 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन क्षेत्र में 1980 से पूर्व निर्मित मार्गों को "कच्चा से पक्का" उच्चीकृत इस स्तर तक किये जाने की अनुमति है, जहाँ इन सड़कों को ब्लैक टॉप/टॉर न किया जाय एवं उच्चीकरण की प्रक्रिया में यदि सड़कों को ब्लैक टॉप/टॉर किया जाना आवश्यक हो तो प्रस्तावक विभाग के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पूर्व में प्राप्त करनी होगी।

अधिसूची अधिवक्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० रोड

2. संरक्षित क्षेत्र जैसे नेशनल पार्क/सेन्चुरी (अभ्यारण्य) में मार्गों के उच्चीकरण किया जाना है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एवं मा0 उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति राज्य सरकार को प्राप्त करनी होगी।
3. कोल-टॉर को पिघलाने एवं मिक्सिंग के लिये अग्नि का प्रयोग वृक्षों/वनस्पतियों से सुरक्षित दूरी पर प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशों के अनुसार किया जाय। शुष्क/गरम हवा वाले मौसम में निर्माण जहाँ तक संभव हो न किया जाय। इस कार्य हेतु जलौनी लकड़ी प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रिम रूप में राज्य वन निगम से क्रय की जायेगी।
4. वन क्षेत्र में पत्थरों को तोड़ने/कसिंग का कार्य अनुमत्त नहीं होगा।
5. मार्ग के उच्चीकरण हेतु पत्थर को तैयार करवाने का कार्य भी उद्योगों से कराया जायेगा।
6. मार्ग के दोनों ओर भू-क्षरण को रोकने हेतु ईट पत्थर लगाकर एवं वनस्पतिक कार्य कराकर परियोजना की लागत से संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के परामर्श से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
7. किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
8. मार्ग का चौड़ीकरण वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
9. नयी वन भूमि का उपयोग/तोड़ने का कार्य अनिवार्यतः नहीं किया जायेगा।
10. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आवश्यक बताये जाने पर मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य एवं उसका रख रखाव परियोजना की लागत पर तत्काल कराया जायेगा।
11. वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेगा।
12. सूर्यास्त के बाद कोई कार्य किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
13. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा समय-समय पर स्थानीय वनस्पतियों फ्लोरा एवं फौना के संरक्षण एवं विकास हेतु लगायी जाने वाली शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. वन क्षेत्र के उच्चीकरण के दौरान यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना की लागत पर उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
15. राज्य सरकार का वन विभाग उच्चीकृत/उच्चीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आ रहे इस तरह के मार्गों के महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थायी चेक पोस्ट स्थापित करेगा।


 अधिशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 लो० नि० वि० सोनभद्र

16. सुलभ सन्दर्भ हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-11-48/2002-एफ0सी0, दिनांक 29/30 अप्रैल, 2005 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2- उक्त मार्ग निर्माण में भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों एवं अम्येडकर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1145/188 टी.सी./ ए0जी0वी0वी0/03, दिनांक 09 सितम्बर, 2005 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। इस निर्माण कार्य में वन भूमि का हस्तान्तरण निहित नहीं है, केवल कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को वन मार्ग कच्चा से पक्का करायें जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। निर्माण कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त भी उल्लिखित वन भूमि पूर्व की भाँति आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

भवदीय,

(जे0 पी0 शर्मा)
उप सचिव।

संख्या-2583(1) /14-2-2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओणरा वन प्रभाग, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
4. अम्येडकर ग्राम्य विकास विभाग, 2030 शासना
5. आयुक्त मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
6. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
7. निदेशक(वन संरक्षण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
8. मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

21/8/2020
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0 नि0 वि0 सोनभद्र

आज्ञा से,

(जे0 पी0 शर्मा)
उप सचिव।